महत्वपूर्ण

पत्र संख्या–[illegible] / xxvii (14) / 2013

प्रेषक,

डी0एस0 गब्र्याल
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त आडिट प्रकोष्ठ — देहरादूनः दिनांकः 12 जुलाई, 2013

विषयः विभागों में पी0एल0ए0 के सही रख रखाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रधान महालेखाकार द्वारा पत्र संख्याः AC-D/PLA/2013-14/478 दिनांक 25 जून, 2013 तथा पत्र संख्याः AC-D/2012–13/PLAS/950 दिनांकः 07.01.2013 द्वारा पी0एल0ए0 खातों के रख रखाव में मुख्यतः निम्नलिखित अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है:–

1. विभागों जैसे नगरपालिका नरेन्द्रनगर, जिला पंचायत, बागेश्वर द्वारा एक मुश्त आधार पर सेल्फ के चैक काटे जा रहे हैं। इस कार्यवाही से राजकीय धन का दुरूपयोग तथा पार्किंग ऑफ फण्ड सम्भावित है।
2. पी0एल0ए0 लेखों का वार्षिक नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है।

इस परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि पी0एल0ए0 खातों के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेः–

(क) समस्त विभागों / संस्थाओं / निगमों / विश्वविद्यालयों / परिषदों / स्थानीय निकायों के पी0एल0ए0 खातों को शासनादेश संख्याः एस–1–1851 / दस–99–10(1) / 99 दिनांकः 21 अगस्त, 1999 के वर्गीकरण के अनुसार ही निम्नवत् खोला जायेगाः–

i	सरकारी विभाग के वैयक्तिक लेखा खाते	मुख्य लेखा शीर्षक–8443–सिविल जमा के अधीन लघु शीर्षक–106–निजी जमा के अन्तर्गत।
ii	विभिन्न निगमों के वैयक्तिक लेखा खाते	मुख्य लेखा शीर्षक–8443–800– अन्य जमा के अन्तर्गत
iii	विश्व विद्यालयों तथा इस प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं के वैयक्तिक लेखा खाते।	मुख्य लेखा शीर्षक–8443–स्थानीय निधियों की जमा के अधीन लघु शीर्षक–110– शिक्षा निधियां।
iv	परिषदों तथा स्थानीय निकायों के वैयक्तिक लेखा खाते।	मुख्य लेखा शीर्षक–8448 के अधीन सुसंगत लघु शीर्षक

8443–106 को छोड़कर अन्य मदों में प्रति वर्ष नवीनीकरण हेतु महालेखाकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी तथा सरकारी विभागों के पी0एल0ए0 खातों में जमा धनराशियों का विशेष परिस्थितियों में वित्त विभाग की अनुमति से अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक उपभोग करने की अनुमति दी जा सकती है, तथा उसके बाद में धनराशि लैप्स हो जायेगी।

(ख) विभागों द्वारा पी.एल.ए. खातों से एक मुश्त आधार पर सैल्फ के चैक अनुमन्य नहीं होंगे।

(ग) विधायक विकास निधि का संचालन शासनादेश संख्याः ए–1–285/दस–2000–10(2)/2000 दिनांकः 09 फरवरी, 2000, शासनादेश संख्याः ए–1–2582/दस– 2000–10(1)/99, दिनांकः 18 जनवरी, 2000 तथा शासनादेश संख्याः ए–1–185/दस–99–10(1)–99 दिनांकः 21.08.1999 के अनुसार लेखा शीर्षक "8448" स्थानीय निधियों की जमा 120 निधियाँ" के अन्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डी0आर0डी0ए0) के वैयक्तिक लेखा खाता के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था है। शीर्षक "8448" स्थायी निधियां जमा–120 अन्य निधियां" के द्वारा विधायक विकास निधि की धनराशि के संचालन हेतु महालेखाकार उत्तराखण्ड के प्राधिकार पत्र की अलग से आवश्यकता नहीं है और न ही इस सम्बन्ध में प्रति वर्ष प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण वांछित है। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को शासन द्वारा स्वीकृत व उपरोक्त वैयक्तिक लेखा खातों में जमा धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में लैप्स नहीं होगी।

(घ) नगरपालिकाओं तथा स्थानीय निधि के भी वैयक्तिक लेखा खाते कोषागारों में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–363 तथा 364 के प्राविधान के अन्तर्गत रखे जाते हैं। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–340 बी में यह प्राविधान है कि संहत निधि से सृजित वैयक्तिक लेखा खाते वित्तीय वर्ष के अन्त में बन्द कर दिये जाने चाहिए। इसी प्रस्तर में यह भी प्राविधान है कि ऐसे अन्य वैयक्तिक लेखा खाते जिसमें पिछले तीन वर्षों से लेन देन नहीं हुआ है। उन्हें भी महालेखाकार के परामर्श से बन्द कर दिया जाये। यह पाया गया है कि उक्त नियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप कोषागारों में ऐसे वैयक्तिक लेखा खाते उपलब्ध है जिनमें पिछले कई वर्षों से कोई लेने–देन नहीं हुआ है।

(ङ) वित्तीय नियमों में स्पष्ट प्राविधान है कि पी0एल0ए0 खातो का मिलान निरन्तर किया जाये परन्तु कुछ पी0एल0ए0 संचालक समय से मिलान नहीं कराते हैं जिससे प्राप्ति/भुगतान के लेखे की सत्यता प्रमाणित नहीं हो पाती है।

(च) जैसा कि वैयक्तिक लेखा खाता नियमावली, 1998 में प्राविधान है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पी0एल0ए0 खाते के सम्बन्ध में प्रतिमाह योजनावार जमा, आहरण व अवशेषों का विवरण परिशिष्ट–छः पर विभागाध्यक्ष को अगले माह को 15 तारीख तक दो प्रतियों में उपलब्ध कराया जायेगा, जिसकी एक प्रति विभागाध्यक्ष द्वारा प्रशासकीय विभाग को 25 तारीख तक प्रेषित की जायेगी। विभागाध्यक्ष द्वारा मासिक बैठक में अन्य के साथ–साथ वैयक्तिक लेखा खाते की भी समीक्षा की जायेगी। वैयक्तिक लेखा खातों में अवशेष धनराशियों के समुचित उपयोग हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा सक्षम प्राधिकारियों की त्रैमासिक बैठक आहूत की जायेगी, जिसमें केवल वैयक्तिक लेखा खातों में उपलब्ध धनराशियों की समीक्षा की जायेगी। प्रशासकीय विभाग भी वैयक्तिक लेखा खाते के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक त्रैमास में विभागाध्यक्षों की बैठक करेंगे जिसमें लेखों के बारे में कोई समस्या है तो उसका निराकरण करायेंगे।

(छ) विभागों में तैनात उत्तराखण्ड वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अपने विभाग के वैयक्तिक लेखा खातों की समुचित संवीक्षा कर लें और यह सुनिश्चित करें कि ये खाते सही लेखा शीर्षक के अन्तर्गत खुले हैं और उनका संचालन वित्तीय नियमों के अनुरूप हो रहा है।

अनुरोध है कि उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जये।

भवदीय,

(डी.एस. गब्र्याल)
सचिव

पत्र संख्या–121 / xxvii (14) / 2013 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, माजरा, देहरादून।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त अपर सचिव, वित्त व्यय नियंत्रण, उत्तराखण्ड शासन।
5. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त कोषागार अधिकारी।

आज्ञा से,

(डी.एस. गब्र्याल)
सचिव